5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES
CANCELLED
CANCELLED

222

समक्ष : न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर/ जबलपुर, म.प्र.

निगरानी प्रकरण क्रमांक........../2017
I/निगरानी/कटनी/भू.रा./2017/1684

1. लाल राम नरेन्द्र सिंह बघेल पिता स्व. लाल त्रिभुवन प्रताप सिंह,
2. श्रीमती पुष्पा सिंह पति विजय बहादुर सिंह चंदेल
द्वारा ज्ञानेन्द्र सिंह बघेल पिता लाल राम नरेन्द्र सिंह बघेल,
दोनो निवासी ग्राम दुर्जनपुर तहसील विजयराघवगढ, जिला कटनी

343

------- आवेदकगण

xx बनाम xx

मध्य प्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर महोदय कटनी म.प्र.

---- अनावेदक

श्री मंजू वर्मा
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
25 MAY 2017
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता के तहत.

आवेदक गणो की ओर से निवेदन है कि -

यह कि माननीय न्यायालय के अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ, जिला कटनी म.प्र. के द्वारा प्रकरण क्रमांक 371/बी- 121/14-15 मे पक्षकार लाल राम नरेन्द्र सिंह बघेल विरूद्ध म.प्र.शासन में पारित आदेश दिनांक 30.3.2017 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो पर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदकगण अनावेदक के विरूद्ध प्रस्तुत करते है :-

// निगरानी के तथ्य //

1. यह कि माननीय विद्वान विचारण न्यायालय माननीय अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ जिला कटनी म.प्र. के समक्ष ग्राम दुर्जनपुर मे स्थित भूमि खसरा नंबर 778, रकबा 0.92, एवं खसरानंबर 380 रकबा 0.25 हे. जिसका कुल रकबा 1.17 हे. भूमि जिस पर आम ,बगीचा राजस्व अभिलेख में दर्ज चला आ रहा है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक एक/ निगरानी/कटनी/ 1684/2017/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
25.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री मंजू वर्मा उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ/बरही जिला कटनी के प्रकरण कमांक 371/बी–121/2014–15/ में पारित आदेश दिनांक 30.3.2017 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम अपील में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29/4/19 **अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर**	